रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12102021-230357
CG-DL-W-12102021-230357

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अक्तूबर 3 - अक्तूबर 9, 2021, शनिवार/ आश्विन 11- आश्विन 17, 1943
No. 33] NEW DELHI, OCTOBER 3 - OCTOBER 9, 2021, SATURDAY/ ASVINA 11 - ASVINA 17, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 112.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों,(वरिष्ठ मानचित्रकार) भर्ती नियम, 2001 का इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपति एतदद्वारा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में, वरिष्ठ मानचित्रकारों के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैः-

experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1.Registrar General, India - Chairman; 2. Additional Registrar General, India - Member; 3. Deputy Registrar General (Map) or Assistant Registrar General (Map), office of the Registrar General, India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-51011/12/2018-Ad.V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह "ग" और "घ" पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं; आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	11* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर- 4 (25,500 - 81,100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) रिक्तियों का 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 20 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (i) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु.19,900 - 63,200) में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। (ii) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से 20% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु.19,900 - 63,200) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति**: केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रु.19,900 - 63,200) में अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार /संघ	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन- सदस्य ।	लागू नहीं होता (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)।

राज्यक्षेत्र प्रशासन के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अवर श्रेणी लिपिक	16* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-2 (19,900 - 63,200 रू.)	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता ; (ii)कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रतिमिनट टंकण गति (अनुगत समय 10 मिनट) {प्रत्येक शब्द के लिये 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 की डिप्रैशन प्रतिघंटे (के डी पी एच)/ 9000 के डी पी एच के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट।} **टिप्पण 1:** टंकण में कौशल परीक्षण केवल कम्प्यूटर पर की जाएगी। **टिप्पण 2:** उम्मीदवारों के मामले में अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं कर्मचारी चयन	हाँ, स्तंभ(10) में उपदर्शित विस्तार तक।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि में कम से कम दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने की अवधि भी सम्मिलित होगी।	(i) 85 प्रतिशत रिक्तियाँ, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी ; (ii) रिक्तियों का 10 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (रु.18000 - 56900) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो 12वीं कक्षा उतीर्ण या समतुल्य अर्हता का धारण करते हों तथा जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा स्तर- 1 में की हो,सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर भरा जाएगा। परीक्षा की पात्रता के लिये अधिकतम आयु-सीमा पैंतालिस वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये पचास वर्ष है। (iii) रिक्तियों का 5 प्रतिशत ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जायेगी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1(रु.18000 - 56900) के

आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण:** यदि खंड (ii) के अधीन उप्लब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में उतीर्ण हो जाते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये विचार किया जाएगा, जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।

(11)	(12)	(13)
स्तंभ (10) में उल्लिखित अनुसार।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने के लिये) जिसमे निम्नलिखित होंगे :-** 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष ; 2. उप निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एसएम/02/02/2019]

अनीता धादरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 6th October, 2021

G.S.R. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group "C " and Group "D " posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C ' posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or Non selection post.	Age-limits for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Upper Division Clerk.	11* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group- 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 4 (Rs.25,500-81,100).	Non-selection.	Not Applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	(i) 80 percent of the vacancies by Promotion failing which by Deputation (ii) 20 percent by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: (i) 80% by Promotion through Departmental Promotion Committee from Lower Division Clerk with eight years of regular service in pay	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering the promotion) consisting of:-** (1) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman;	Not Applicable. (for considering promotion)

Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) (ii) 20% through Limited Departmental Competitive Examination from Lower Division Clerk with five years regular service in Pay Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of Central Government/State Government/UT Administration:- (i) Holding analogous post on regular basis; OR (ii) With eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in Pay Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly the deputationist shall not be eligible for consideration of appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government/State Government/UT Administration shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding Fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	(2) Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; (3)Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Lower Division Clerk	16* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group- 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200).	Non-selection	Between 18 years and 27 years [Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard]. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University; (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on Computer. (Time allowed 10 minutes) {35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depressions per Hour (KDPH)/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions of each word}. **Note 1**: Skill Test in typing shall be conducted only on Computers. **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Yes to the extent indicated in column 10.	Two years for Direct recruits. **Note**: The probation period shall include successful completion of mandatory induction training of at least two weeks duration.	(i) 85% of vacancies by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) 10% of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst the Group C staff in level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years' regular service in the level 1, on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination. The maximum age–limit for eligibility for examination is forty five years and fifty years of age for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes; (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years' regular service in posts in level 1 in the pay matrix (Rs.18000-56900). **Note:** If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such

			excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

(11)	(12)	(13)
As stated in column (10).	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering the promotion) consisting of:-** (1) Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; (2) Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; (3)Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Not applicable.

[F.No SM/02/02/2019]

ANITA DHADRA,Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.12 16:30:36 +05'30'